बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Uday Shankar Choudhary, (निबंधन संख्या–1220261) Add:-Village+ Post-Khrouna, Dist-Muzaffarpur, Pincode: 843113 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–9814 दिनांक 11.09.2025 एवं ज्ञापांक 9437 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 15.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

प्रस्तुत मामला संवेदक Uday Shankar Choudhary, (निबंधन संख्या–1220261) Add:-Village+Post-Khrouna, Dist-Muzaffarpur, Pincode: 843113 के निबंधन को कार्य प्रमंडल, महुआ(टेंडर आई डी0–140310) एवं मुजफ्फरपुर, पूर्वी–01(टेंडर आई डी0–140189) में गलत कागजात डालने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 9437 दिनांक 01.09.2025 एवं ज्ञापांक 9814 दिनांक 11.09.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 15.09.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संदर्भ में है।

इस मामलें की सुनवाई दिनांक 17.10.2025 को की गयी। संवेदक Uday Shankar Choudhary द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा स्वयं ये गलत कागजात नहीं डाले गये है, बल्कि किसी दूसरे संवेदक द्वारा जिसके द्वारा उन्हें निविदा नहीं डालने के लिए दबाव डाला जा रहा था, साईबर कैफे वाले को बहलाकर उनका गलत कागजात अपलोड करा दिया गया है।

इस मामलें की समीक्षा के लिए दोनों मामलों से संबंधित निविदा निष्पादन की संचिका को अवलोकन करने हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

कार्यप्रमंडल, महुआ के अधीन MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत टेन्डर आई डी–140310 (पैकेज संख्या–RRSMP/24–25Mahua/04) एवं कार्यप्रमंडल मुजफ्फरपुर, पूर्वी–01 के अधीन MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत टेन्डर आई डी–140189 के तकनीकी बीड की संचिकाओं का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त दोनो संचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि टेन्डर आई डी–140310 में तकनीकी बीड के निष्पादन के दौरान संवेदक Uday Shankar Choudhary के ऊपर परिवाद दिया गया था। जिसका जाँच किया गया एवं परिवाद सही नहीं पाया गया। इसमें परिवादी Arpit Engicon Pvt. Ltd. थे। परिवाद के जाँच के उपरांत इन्हें पुनः योग्य किया गया एवं वित्तीय बीड भी खोल दिया गया। वित्तीय बीड दिनांक 01.07.2025 को खोला गया एवं उसी दिन की तिथि में Arpit Engicon Pvt. Ltd. द्वारा पुनः परिवाद डाला गया, जो कार्यालय में दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त हुआ। इस परिवाद में 26AS की पुनः जाँच कराने एवं तब तक इस वित्तीय बीड के आलोक में आगे कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया। यह परिवाद वर्ष 2023–24 के टर्नओवर के संबंध में था।

इसके बाद पुनः तकनीकी बीड समिति की बैठक आहुत की गयी एवं न्यूनतम निविदाकार Uday Shankar Choudhary द्वारा edited 26AS दिये जाने के आलोक में उस निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गयी एवं संवेदक Uday Shankar Choudhary पर कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी। जिसके आलोक में उनपर कालीकरण की कार्रवाई की गयी। इसी प्रतिवेदन के आधार पर टेन्डर आई डी–140189 में भी उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। उक्त टेंडर में कोई परिवाद नहीं था, न ही वर्ष 2023–24 के टर्न ओवर के आधार पर वे Qualify कर रहे थे।

उपरोक्त दोनों मामलों की प्राथमिक समीक्षा से इसमें कुछ विसंगतियाँ प्रतीत होती है, जिसपर विस्तृत जाँच कराना आवश्यक है। यह विसंगतियाँ निम्नवत् है :–

1. संवेदक Uday Shankar Choudhary पर महुआ कार्य प्रमंडल के निविदा में गलत कागजात देने का आरोप है, जो कि वर्ष 2023–24 के टर्नओवर से संबंधित है, परन्तु इसी के आधार पर मुजफ्फरपुर पूर्वी–01 के निविदा टेंडर आई0डी0–140189 में भी इनको अयोग्य ठहरा दिया गया, जबकि उस निविदा में ये वर्ष 2022–23 के टर्नओवर के आधार पर योग्य हो रहे थे एवं उसके बारे में कोई परिवाद भी नहीं था।

2. महुआ, कार्यप्रमंडल के निविदा में कार्यपालक अभियंता द्वारा भेजे गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें मुजफ्फरपुर पूर्वी–01 की निविदा में भी अयोग्य ठहराया गया एवं उसके लिए भी कालीकृत किया गया, जबकि इस मामलें में संचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि मुजफ्फरपुर पूर्वी–01 के मामलें में निविदा निष्पादन के समय उनसे(संवेदक) कोई स्पष्टीकरण पूछा गया या नहीं।

3. महुआ, कार्यप्रमंडल के मामलें में परिवाद 02.07.2025 को प्राप्त हुआ है जबकि वित्तीय बीड 01.07.2025 को ही खोली जा चुकी थी एवं इस मामलें में कार्यपालक अभियंता महुआ के पत्रांक 1610 दिनांक 04.07.2025 के आधार पर तकनीकी बीड में इन्हें पुनर्समीक्षा में अयोग्य ठहराया गया, जबकि कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वयं कोई जाँच नहीं की गयी थी एवं उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से "26AS की प्रति समर्पित की गयी। जिसे मूल प्रति से मिलान करने पर गलत पाया गया।" कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यालय से कब 26AS की प्रति मांग की गयी एवं कार्यपालक अभियंता को मूल प्रति कहाँ से प्राप्त हुई।

4. विभाग के द्वारा निविदा में यह शर्त डाली जाती है कि एक परिवादी के द्वारा एक बार से ज्यादा परिवाद नहीं दिया जा सकता, परन्तु फिर भी Arpit Engicon Pvt. Ltd. के दुबारा दिये गये परिवाद के ऊपर कार्रवाई की गयी है।

अतः इस मामलें में विस्तृत जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है। विस्तृत जाँच होने एवं इस मामलें में अंतिम आदेश पारित होने तक संवेदक Uday Shankar Choudhary (निबंधन संख्या–1220261) को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 9814 दिनांक 11.09.2025 एवं ज्ञापांक 9437 दिनांक 01.09.2025 द्वारा कालीकृत किये जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इसकी सूचना सभी अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को दिया जाय।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–146/2025 11548 /पटना, दिनांक– 13.11.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/25

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–146/2025 11548 /पटना, दिनांक– 13.11.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–146/2025 11548 /पटना, दिनांक– 13.11.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–146/2025 11548 /पटना, दिनांक 13.11.25

प्रतिलिपि– संवेदक M/S Uday Shankar Choudhary, (Reg. No. 1220261) Village+ Post Khrouna, Dist- Muzaffarpur Pin Code 843113 को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–146/2025 11548 /पटना, दिनांक– 13.11.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव